International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 5, Issue 1 Jan. 2023, pp: 1128-1133 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

# ‘‘बिहार में महिला सशक्तिकरण हेतु सकारात्मक भेदभाव की भूमिका’’

1.शालिनी कुमारी
शोधार्थी, (रजिस्ट्रेशन न०- (146; 17.03.2020)
शिक्षा विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
2.डॉ० मोनव्वर जहाँ (शोध निदेशक)
प्राचार्य, वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज
पटना विश्वविद्यालय, पटना

Date of Submission: 17-01-2023 Date of Acceptance: 31-01-2023

संक्षिप्तिका-

समाज के विकास में महिला और पुरूष दोनों का समान महत्व है , परन्तु वास्तविक रूप में महिलाओं के विकास में विभिन्न तरह की बाधाएँ हैं , जिनसे मुक्ति के लिए सकारात्मक भेदभाव (आरक्षण) को सरकार द्वारा लागू किया गया। यह उपचारात्मक कारवाई है जिसकी शुरूआत 1882 ई0 में हुई थी , इसमें महात्मा ज्योतिराव फूले एवं छत्रपति राजर्षि शाहु की भूमिका उल्लेखनीय है। सकारात्मक भेदभाव व्यवहारिक तौर पर शैक्षणिक संस्थान , नौकरी, आर्थिक अनुदान एवं स्थानीय स्वषासन आदि क्षेत्रों में वंचित वर्गो एवं महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु किया जाता है। बिहार में महिलाएँ शैक्षणिक , आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई है। 2021 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर 53.33% है जो भारत में सबसे नीचे है। यहाँ महिलाओं की भागीदारी कुशल श्रम में अपेक्षाकृत बहुत कम है। स्थानीय निकायों को छोड़कर संसद एवं विधानमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। समाज की आधी आबादी होने के बावजूद सभी क्षेत्रों में उनका योगदान अपेक्षित नहीं है। महिला सशक्तिकरण के सहायक तत्वों में संवैधानिक प्रावधान , कानूनी प्रावधान, योजनाएँ आदि प्रमुख है , यथा- सती प्रथा निवारण अधिनियम , 1929; मातृत्व लाभ अधिनियम , 1961; समान पारिश्रमिक अधिनियम ,1976; ‘‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’’, सुकन्या समृद्धि योजना , मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना आदि। इस प्रकार सकारात्मक भेदभाव द्वारा महिलाओं के विकास को महिला सशक्तिकरण के रूप में देखा जा सकता है जो कार्य भागीदारी में वृद्धि , शिक्षा व्यवस्था में सुधार, जनसंख्या नियंत्रण में सुधार, प्रशासन में संवेदनशीलता आदि है। अब देखना है कि उचित क्रियान्वयन, परिपक्व सामाजिक सोच एवं गुणात्मक शिक्षा से बिहार की महिलाओं को सशक्त बनाने में किस हद तक सार्थक होगा।

परिचयः-

इस संसार में प्रकृति की अद्भूत रचना है ‘‘मानवजाति’’। मानव सभ्यता के विकास में स्त्री और पुरूष का समान महत्व है। प्राकृतिक रूप से स्त्री एवं पुरूष के विकास में कोई भेदभाव मौजूद नहीं है , परन्तु सामाजिक दृष्टिकोण से महिलाओं के विकास में विभिन्न तरह की बाधाएँ देखने को मिलती है। इन्ही बाधाओं से मुक्ति के लिए समाज में सकारात्मक भेदभाव (आरक्षण) की अवधारणा को अपनाया गया , जिसका मुख्य उद्देश्य है, महिलाओं को समाज की मुख्य विकासधारा से जोड़ना। किसी भी व्यक्ति के विकास में षिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। षिक्षा व्यक्ति को स्वयं से साक्षात्कार कराकर उसके अस्तित्व का बोध कराती है। यह संस्कृति की वाहक होती है तथा समाजिक रूढ़ियों एवं समास्याओं को षिक्षा के माध्यम से सुधारा जा सकता है। इसका सकारात्मक बदलाव सामाजिक विकास के रूप में होता है। इसके अभाव के कारण लैंगिक असमानता , अषिक्षा, गरीबी, कुपोषण और महिलाओं के प्रति असंवेदनषीलता आदि मूल समस्याओं के रूप में सामने उभर कर आती है।

❖ समारात्मक भेदभाव (आरक्षण) की पृष्ठभूमिः-

आरक्षण का अर्थ है जगह सुरक्षित करना। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा हर स्थान पर अपनी जगह सुरक्षित करने की होती है , चाहे वह रेल की यात्रा , अस्पताल में चिकित्सा अथवा विधानसभा/लोकसभा का चुनाव की बात हो। सकारात्मक भेदभाव का तात्पर्य है ‘‘उन लोगों के पक्ष में एक विशेषाधिकार या कुछ अधिकार देना जो सदियों से भेदभाव के शिकार एवं पीड़ित है’’। यह ऐसी अवधारणा है जिसे व्यवहारिक तौर पर सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों , नौकरियों, आर्थिक अनुदान, स्थानीय स्वशासन आदि क्षेत्रों में वंचित वर्गो के लिए लागू की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य वंचित वर्गो को विकास की मुख्य-धारा से जोड़ना है। जब यह व्यवस्था सरकार द्वारा विधान बनाकर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए लागू की जाती है, तब यह सकारात्मक भेदभाव (आरक्षण) कहलाता है।

आरक्षण की शुरूआत 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ हुई थी। उस समय विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले ने सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा ब्रिटिश सरकार की नौकरियों में आनुपातिक आरक्षण (प्रतिनिधित्व) की माँग की थी। सर्वप्रथम 1894 ई0 में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति राजर्षि शाहु द्वारा गैर-ब्राह्मणों एवं पिछड़े वर्गो के लिए 50% आरक्षण लागू किया गया।

❖ सकारात्मक भेदभाव की आवश्यकताः-

देश अथवा राज्य में सरकारी सेवाओं और संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदायों , अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को देखते हुए सकारात्मक भेदभाव की आवश्यकता महसूस की गई। पिछड़ेपन दूर करने के लिए सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों में आरक्षण प्रणाली लागू किया गया।

❖ बिहार में महिलाओं के विकास में सकारात्मक भेदभाव की प्रासंगिकताः-

महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्था में आरक्षण का प्रावधान आवश्यक एवं अनुठा प्रयास है। यह समाज को नया गति प्रदान करेगा। हालाँकि जिस प्रकार से संविधान में महिलाओं के लिए प्रावधान दिए गए है उसके अनुसार सामाजिक सोंच में बदलाव नहीं हुआ है जिसके कारण विभिन्न प्रकार के सामाजिक गतिरोध उत्पन्न हुए है , जैसे- घरेलू हिंसा , भ्रूण हत्या अदि। समाज के कुंठित सोच वाले व्यक्तियों द्वारा महिलाओं के स्वतंत्र व्यक्तित्व की अवधारणा को अभी स्वीकारा नहीं गया है , जिसका स्वरूप उपर्युक्त गतिरोध के रूप में परिलक्षित होता है। महिलाओं को जन्म से कार्यस्थल तक सुरक्षित माहौल मुहैया करने की सामूहिक जिम्मेदारी सभी की है। इसी के मद्देनज़र सकारात्मक भेदभाव की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।

❖ बिहार में महिलाओं की वर्तमान स्थितिः-

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सर्वाधिक पिछड़ा है। बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ में महिलाओं की संख्या 4.98 करोड़ है। (वर्तमान समय में बिहार की कुल जनसंख्या 14 करोड़ होने का अनुमान हैं।) लगभग आधी आबादी ( 47.86%) के शैक्षणिक ,आर्थिक एवं राजनीतिक भागीदारी को देखने से पता चलता है कि महिलाएँ पुरूषों के समानांतर विकासधारा में काफी पीछे है। महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण बहुआयामी है , जिसमें शिक्षा का स्थान प्रमुख है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार की कुल साक्षर महिलाओं का प्रतिषत केवल 51.5% है। वर्ष 2021 की जनगणना का अधिकारिक

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 5, Issue 1 Jan. 2023, pp: 1128-1133 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

रिपोर्ट अभी नहीं आया है , Internet की जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में बिहार की साक्षरता दर 63.82% है जिनमें 73.3% पुरूष एवं 53.33% महिलाएँ साक्षर है। बिहार में महिलाओं की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जा सकता है-

(क) बिहार में महिलाओं की समाजिक स्थिति।
(ख) बिहार में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति।
(ग) बिहार में महिलाओं की आर्थिक स्थिति।
(घ) बिहार में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति।

❖ बिहार में महिलाओं की समाजिक स्थितिः-

मनुष्य के द्वारा विभिन्न संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग किया जाता है तथा वह स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव संसाधन के विकास पर किसी देश अथवा राज्य का विकास निर्भर करता है। बिहार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। वर्तमान बिहार में 38 जिले है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना ( 58,38,465) है जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा (6,36,342) है।

- लिंगानुपातः- किसी देश अथवा राज्य में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं।

लिंगानुपात किसी दिये गये समय में समाज में पुरूषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। जिसे निम्नलिखित आँकड़ो से समझा जा सकता है।

बिहार: लिंगानुपात (1901-2011 तक)

| | | |
|---|---|---|
| वर्ष | - | 1901-1911-1921-1931-1941-1951-1961-1971-1981-1991 |
| लिंगानुपात | - | 1061-1051-1020-995-1002-1000-1005-957-948-907 |
| वर्ष | - | 2001-2011-2021 |
| लिंगानुपात | - | 919-918-916 |

स्रोत - भारत की जनसंख्या ;1901 से लेकर 2011 तकद्ध,वर्ष 2021-Internetकी सूचना के अनुसार

आँकड़ो से स्पष्ट है कि वर्ष 1901 से 2021 तक प्रत्येक जनगणना में बिहार में लिंगानुपात की स्थिति में परिवर्तन होता रहा है। लिंगानुपात में कमी के पीछे अनेक सामाजिक रूढ़ियाँ , अशिक्षा तथा पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना उत्तरदायी है। सामाजिक बराइयों में कन्या भ्रूण हत्या , बाल विवाह आदि उल्लेखनीय है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज ( 1021), जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर ( 876) है। यहाँ ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के लिंगानुपात में भी असमानता देखी जाती है। जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 921 है, वहीं नगरीय क्षेत्र में 895 है। वर्तमान समय में 25.42% है , जबकी 2001 से 2011 तक 25.1% जनसंख्या वृद्धि दर थी। बिहार भारत में सबसे घनी आबादी ( 1102/व्यक्ति प्रति किमी.) वाला राज्य है।

(ख) बिहार में महिलाओं की शैक्षिक स्थितिः-

❖ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से वर्तमान समय तक बिहार के शैक्षिक परिदृष्य में काफी बदलाव देखने को मिलता है। बिहार के सभी जिलों में भी साक्षरता दर भिन्न-भिन्न है।

साक्षरताः-

साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा विकास के कार्य कर सकता है।

साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक एवं समाजिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है।

7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है।

2011 की जनगणना में अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, जबकि राष्ट्रीय साक्षरता दर 74.4% है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास (73.37%) है, जबकि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया ( 51.8%) है। उसी प्रकार यहाँ की ग्रामीण साक्षरता दर 59.78% तथा नगरीय साक्षरता दर 76.86% है।

- बिहार की साक्षरता दर वर्ष 1951 से 2021 तक (प्रतिशत में)

| वर्ष | कुल | पुरूष | महिला |
|---|---|---|---|
| 1951 | 13.49 | 22.68 | 4.22 |
| 1961 | 21.95 | 35.85 | 8.11 |
| 1971 | 23.17 | 35.86 | 9.86 |
| 1981 | 32.32 | 47.11 | 16.61 |
| 1991 | 37.49 | 57.37 | 21.99 |
| 2001 | 47.53 | 60.32 | 33.57 |
| 2011 | 61.80 | 71.20 | 51.50 |
| 2021 | 63.82 | 73.3 | 53.33 |

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 5, Issue 1 Jan. 2023, pp: 1128-1133 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

स्रोत - भारत की जनगणना वर्ष 1951 से लेकर 2011 तकए वर्ष 2021 की जनगणना प्दजमतदमज की सूचना के अनुसार

- बिहार के जिलों की साक्षरता दर (प्रतिषत में) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसारः-

| नं0 | जिला | कुल | पुरूष | महिला |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पश्चिम चम्पारण | 55.70 | 65.59 | 44.69 |
| 2. | पूर्वी चम्पारण | 55.79 | 65.34 | 45.12 |
| 3. | शिवहर | 53.78 | 61.31 | 45.26 |
| 4. | सीतामढ़ी | 52.05 | 60.64 | 42.41 |
| 5. | मधुबनी | 58.62 | 70.14 | 46.16 |
| 6. | सुपौल | 57.67 | 69.62 | 44.77 |
| 7. | अररिया | 53.53 | 62.30 | 43.93 |
| 8. | किशनगंज | 55.46 | 63.66 | 46.76 |
| 9. | पूर्णिया | 51.08 | 59.06 | 42.34 |
| 10. | कटिहार | 52.24 | 59.36 | 44.39 |
| 11. | मधेपुरा | 52.25 | 61.77 | 41.74 |
| 12. | सहरसा | 53.20 | 63.56 | 41.68 |
| 13. | दरभंगा | 56.56 | 66.83 | 45 |
| 14. | मुजफ्फरपुर | 63.43 | 71.28 | 54.67 |
| 15. | गोपालगंज | 65.47 | 76.51 | 54.81 |
| 16. | सीवान | 69.45 | 80.23 | 58.66 |
| 17. | सारण | 65.96 | 77.03 | 54.42 |
| 18. | वैषाली | 66.60 | 75.41 | 56.73 |
| 19. | समस्तीपुर | 61.86 | 71.25 | 51.51 |
| 20. | बेगुसराय | 63.87 | 71.58. | 49.56 |
| 21. | खगड़िया | 57.53 | 65.25 | 49.56 |
| 22. | भागलपुर | 63.14 | 70.30 | 54.89 |
| 23. | बाँका | 58.17 | 67.62 | 47.66 |
| 24. | मुँगेर | 70.46 | 77.74 | 62.08 |
| 25. | लखीसराय | 62.42 | 71.26 | 52.57 |
| 26. | शेखपुरा | 63.86 | 73.56 | 53.40 |
| 27. | नलंदा | 64.43 | 74.86 | 53.10 |
| 28. | पटना | 70.68 | 78.48 | 61.96 |
| 29. | भोजपुर | 70.47 | 81.74 | 58.03 |
| 30. | बक्सर | 70.14 | 80.72 | 58.63 |
| 31. | कैमूर (भभुआ) | 69.34 | 79.37 | 58.40 |
| 32. | रोहतास | 73.37 | 82.88 | 62.97 |
| 33. | औरंगबाद | 70.32 | 80.11 | 59.71 |
| 34. | गया | 63.67 | 73.31 | 53.34 |
| 35. | नवादा | 59.76 | 69.98 | 48.86 |
| 36. | जमुई | 59.79 | 71.24 | 47.28 |
| 37. | जहानाबाद | 66.80 | 77.66 | 55.01 |
| 38. | अरवल | 67.43 | 79.06 | 54.85 |

स्रोत - 2011, भारत की जनगणना

आंकड़ों से स्पष्ट है कि बिहार में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति ठीक नही है। महिलाओं की आबादी के अनुसार उनकी साक्षरता दर काफी कम है।

(ग) बिहार में महिलाओं की आर्थिक स्थितिः-

बिहार राज्य में आजीविका का प्रमुख साधन कृषि एवं संबंधित क्षेत्र हैं। बिहार की 11.29% जनसंख्या नगरों में जबकि 88.79% ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। आर्थिक सम्पन्नता के विभिन्न आयाम है , इसके अन्तर्गत रोजगार के साधनों में सरकारी नीजि क्षेत्र , असंगठित, संगठित एवं स्वरोजगार आदि शामिल है। शिक्षकनियोजन में बिहार की महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान वर्तमान आर्थिक उन्नति का एक सशक्त माध्यम है। वर्ष 2016 से सभी सरकारी सेवाओं में भी बिहार की महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान बिहार की सरकार द्वारा लागू किया गया है। बिहार के कामगारों की संख्या तथा उसमें महिलाओं का योगदान निम्नलिखित तालिका द्वारा देखा जा सकता है-

तालिका 1. बिहार में कामगारों की संख्या

| | |
|---|---|
| बिहार में कुल कामगारो की संख्या - | 34,724,987 |
| पुरूष कामगारों की संख्या - | 2,52,22,187 |
| महिला कामगारों की संख्या - | 95,02,800 |
| सर्वाधिक कामगारों वाला जिला - पटना ( | 18,81,886) |
| न्युनतम कामगारों वाला जिला - शिवहर ( | 2,16,372) |

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 5, Issue 1 Jan. 2023, pp: 1128-1133 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

बिहार में कुल मुख्य कृषकों की संख्या - 1,83,45,649
पुरूष कृषकों की संख्या - 1,25,70,717
महिला कृषकों की संख्या - 57,74,932
राज्य में सर्वाधिक मुख्य कृषकों वाला जिला - मधुबनी (9,40,642)
राज्य में न्यूनतम मुख्य कृषकों वाला जिला - मुंगेर (1,96,449)
बिहार में कुल घरेलू उद्योग कामगारों की संख्या - 14,11,208
पुरूष - 7,62,118
महिला - 6,49,090
राज्य में सर्वाधिक घरेलू उद्योग कामगारों वाला जिला - जमुई (1,05,637)
राज्य में न्यूनतम घरेलू उद्योग कामगारों वाला जिला - शिवहर (9,119)

- बिहार में महिलाओं की पब्लिक सेक्टर में कार्य भागीदारी (हजार में):-

ग्रामीण क्षेत्र में कृषि में महिलाओं का योगदान सर्वाधिक है। परंन्तु इससे उनकी आर्थिक स्थिति में उन्नति दिखाई नहीं पड़ती है। महिलाओं की अकुशल श्रम में भागीदारी अधिक तथा कुशल श्रम में भागीदारी कम है।

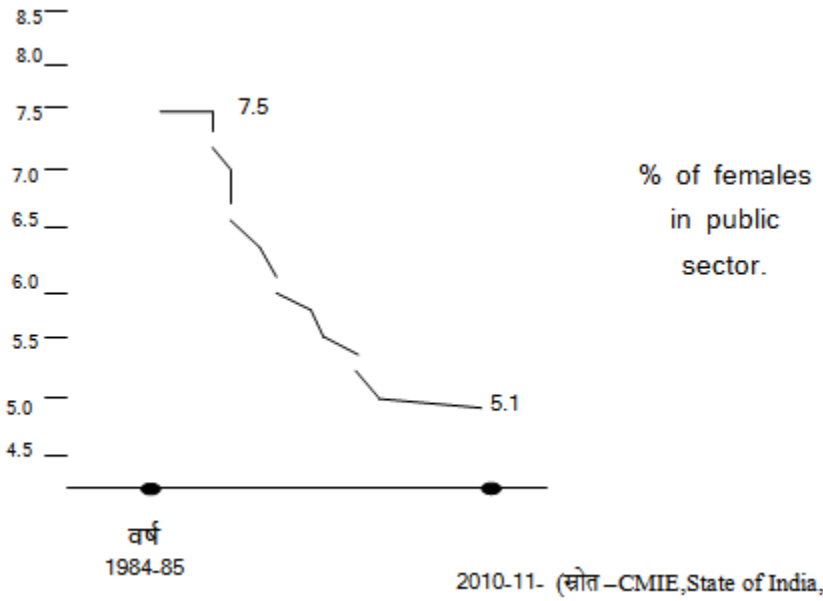


(घ) बिहार में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति:-

महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों में भले ही कुछ बदलाव हुआ हो मगर राजनीतिक भागीदारी (लोकसभा एवं विधान सभा में) अभी भी दयनीय है। वर्तमान समय में बिहार की महिलाओं के लिए पंचायती राज्यवस्था वरदान साबित हुयी है। इस व्यावस्था ने महिलाओं को (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में) जागरूक बनाया। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान ''बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006'' के अंतर्गत किया गया हैए जो पुरे देश के लिए अनुकरणीय है। वर्तमान समय में लगभग 65% महिला प्रतिनिधि की जीत ने पंचायतों का स्वरूप बदला है। महिलाओं के सशक्तिकरण में पचायतों की भूमिका रोचक है।

इतनी बड़ी सामाजिक भूमिका निभाने में बहुत सी महिला प्रतिनिधियों का साक्षर न होना मुश्किल तो पैदा करता है परंन्तु रूकावट नहीं। पंचायत राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधि संगठित रूप से विभिन्न स्तरों पर सकारात्मक स्थिति ला सकतीं है। एक मानवीय समूह के रूप में महिलाओं को सशक्त करने के लिए यह समान प्रतिष्ठा, समान व्यवहार, समान अवसर एवं समान ध्यान देकर उन्हे बराबरी का दर्जा दिला सकती है।

महिला सांसदों की संख्या देश स्तर पर केवल 11 फीसदी है , वही बिहार में 40 सीटों में महज 3 महिला सांसद (7.5%)है। 1952 से लेकर वर्तमान समय तक कोई सुखद बदलाव नहीं आया है।

महिला विधायक की बात करे तो सर्वाधिक 34 महिला सांसद वर्ष 2010 में बिहार विधानसभा में थीं , जबकि वर्तमान समय में केवल 28 महिला विधायक है। पिछले 60 वर्षो में बिहार में केवल 232 महिलाएँ ही विधायक बन पाई है। बिहार में राबड़ी देवी एक मात्र महिला है , जिन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। अब तक के 13 विधानसभा में सिर्फ 6 मुस्लिम महिलाएँ विधायक बनी है। अनुसुचित जाति से 35 महिला विधायक, जबकि अनुसुचित जनजाति से केवल 11 महिलाएँ विधायक बन पाई।

सुखद बात यह है कि महिला मतदाताओं की जागरूकता एवं मतदान में योगदान उल्लेखनीय हैं। स्थानीय निकायों में ही सही महिलाओं की उपस्थिति अच्छी पहल है। धीरे-धीरे विधानसभा एवं लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की माँग जरूर बढ़ेगी। दशकों से 33% आरक्षण का मुद्दा लंबित है। बिहार में शैक्षिक रूप से समृद्ध महिलाओं की राजनीति में अपनी भागीदारी निभाने की आवश्यकता है।

बिहार में महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु सामुहिक जागरूकता अपेक्षित है। महिलाओं के विकास एवं कल्याण हेतु बिहार सरकार द्वारा आरक्षण के माध्यम से समानांतर विकासधारा में जोड़ने का प्रयास किया गया है।

❖ बिहार में सकारात्मक भेदभाव (आरक्षण) का वर्तमान स्वरूप:-

महिलाएँ समाज की आधी आबादी है , इसके विकास के बिना समाज का विकास अधूरा है। महिलाओं के स्वास्थ्य , शैक्षणिक, समाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास के मद्देनजर बिहार सरकार ने काफी सराहनीय प्रयास किये है। महिलाओं के

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 5, Issue 1 Jan. 2023, pp: 1128-1133 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

सशक्तिकरण में विभिन्न तत्वों का योगदान होता है , जिसे निम्नलिखित रूपों में देख सकते है।

1. संवैधानिक प्रावधान
2. कानूनी प्रावधान
3. विभिन्न योजनाएँ
4. स्थानीय स्वशासन/निकाय
5. वैश्वीकरण का प्रभाव

} महिला सशक्तिकरण

(1) संवैधनिक प्रावधानः-

महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से विषिष्ट परिस्थिति में सुविधा एवं आरक्षण का प्रावधान संविधान द्वारा दिया गया है। भारतीय संविधान में मूलआधिकार के अनुच्छेद 15(1) - लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं , अनुच्छेद 15(3) - महिलाओं एवं बच्चों हेतु राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बनाना, अनुच्छेद 16 -अवसर की समता , नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 39 (घ) समान काम के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 42 - उचित मानवीय परिस्थितियों एवं प्रसूति सहायता हेतु राज्य द्वारा विशेष प्रावधान की अनुमति , अनुच्छेद 51 (ए) (इ) - महिलाओं की गरिमा हेतु कुप्रथाओं का त्याग।

(2)कानूनी प्रावधनः-

समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार हो , इसके लिए संसद द्वारा विभिन्न अधिनियम लागू किये गये। जैसे - मातृत्व लाभ अधिनियम , 1961; समान प्रारिश्रमिक अधिनियम , 1976; दहेज प्रतिषेध अधिनियम , घरेलू हिंसा (प्रतिषेध) अधिनियम, 2005; विशाखा गाइड लाइन - 1997।

एकीकृत बाल निकास सेवा कार्यक्रम के रूप में , 1975 में भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी की शुरूआत की गई। 92000 आँगन बाड़ी केन्द्र बिहार में है, बिहार में स्वयं सहायता समूह की 72 लाख महिला है। महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से महिला आयोग का गठन किया गया। बिहार सरकार ने महिलाओं के विकास में आरक्षण उपलब्ध कराकर सराहनीय प्रयास किये हैं। जैसे - सरकारी नौकरी ( 35%);शिक्षक नियोजन ( 50%); पुलिस भर्ती ( 35%); आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ( ANM)-(100%); सहायक परिचायिका-( 100%); सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA)-(100%)।

(3) विभिन्न योजनाएँः-

बिहार में महिलाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई योजनाएँ (केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा) लागू की गई। इसमें ''बेटी बचाओं , बेटी पढ़ाओं'', ''किशोरी शक्ति योजना'' , ''सुकन्या समृद्धि योजना'' , 'उज्जवला योजना', 'मनरेगा' आदि उल्लेखनीय है। आर्थिक उन्नयन के लिए 'जेंडर बजट' की शुरूआत की गई। बालिकाओं के संरक्षण , स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वावलंबन पर आधारित 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' लागू की गई है , इसके तहत बिहार की बालिकाओं को जन्म से लेकर उसके स्नातक होने तक कुल 54100 रूपये की राशि प्रदान की जाती है।

❖ महिला सषक्तिकरण हेतु प्रयासः-

- सती प्रथा (निवारण) अधिनियम,1929
- हिन्दू महिला सम्पत्ति अधिकार अधिनियम,1937
- हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम,1956
- मातृत्व लाभ अधिनियम,1961
- दहेज निषेध अधिनियम,1961
- चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम,1983
- महिला अषोभनीय प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम,1986
- राष्ट्रीय महिला आयोग, 1990
- पूर्व गर्भधारण एवं पूर्व प्रसव नैदानिक तकनीक (लिंग चुनाव निषेध) अधिनियम, 1994

उपर्युक्त विभिन्न कानूनी प्रावधानों एवं योजनाओं से जो अधिकार महिलाओं को प्राप्त हुए हैं , उसके माध्यम से महिलाओं में सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की भावना जागृत हुई तथा उनके आगे बढ़ने में बाधाएँ कम हो रही हैं।

(4) स्थानीय स्वशासन/निकायः-

महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे बड़ा सार्थक प्रयास स्थानीय निकायों में संबैधानिक व्यवस्था को लागू करना है। पंचायती राजव्यवस्था में महिलाअें के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान बिहार की महिलाओं के प्रति विशेषकर ग्रामीण सामाजिक मानसिकता को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिसका सकारात्मक प्रभाव बालिका के शिक्षा पर पड़ा हैं। इस व्यवस्था ने महिलाओं के आत्मनिर्भरता और सशक्त बनाने की सोच में उल्लेखनीय योगदान दिया हे।

बिहार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाएँ एवं आरक्षण उपलब्ध है जिससे महिलाओं के आत्मबल एवं अभिव्यक्ति को मुखर करने में विशिष्ट महत्व है। जैसे - यहाँ के city bus (राजधानी) में निगम द्वारा 50% आरक्षण सीट की व्यवस्था लागू होने से महिलाओं के आत्मविश्वास एवं अभिव्यक्ति में बदलाव देखने को मिलता है। इसके दूरगामी प्रभाव अवश्य ही दिखाई देने वाला है।

(5) वैश्वीकरण का प्रभावः-

महिला सशक्तिकरण को गति देने में 1996 ई 0 में वैश्वीकरण द्वारा अर्थव्यवस्था में आये बदलाव ने महिलाओं को मानव संसाधन के रूप में महत्व को स्थापित किया। आधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के साथ-साथ भौतिकवादी संस्कृति ने समाज के विचारधारा को नया दृष्टिकोण दिया। महिलाओं के प्रति समाज के बदले हुए सोच का नतीजा है के वर्तमान समय में लड़कियों का भी Career (भविष्य) होता है तथा वे अपने कैरियर के लिए शिक्षा प्राप्त करती है।

❖ सकारात्मक भेदभाव (आरक्षण) का बिहार की महिलाओं पर प्रभावः-

विभिन्न प्रकार के आरक्षण द्वारा महिलाओं के विकास को महिला सशक्तिकरण के रूप में देखा जा रहा है, जो इस प्रकार है-

- कार्य भागीदारी में वृद्धि
- शिक्षा व्यवस्था में सुधार
- जनसंख्या नियंत्रण में सुधार
- प्रशासन में संवेदनशीलता

भारत में महिलाओं की कार्य भागीदारी लगभग 26% है। वर्तमान समय में आरक्षण द्वारा महिलाओं की विभिन्न कार्य क्षेत्रों में भागीदारी सुनिश्चित हो रही है, जिससे आश्रित जनसंख्या में कमी आयेगी तथा भविष्य में नई तस्वीर देखने को मिलेगी। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ एवं गुणात्मक परिवर्तन होने से महिलाओं के सर्वांगिण विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। महिलाओं की प्रशासनिक भागीदारी में

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 5, Issue 1 Jan. 2023, pp: 1128-1133 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

वृद्धि होने से प्रशासन की संवेदनशीलता एवं सफलता सुनिश्चित होगी। प्रबंधन क्षमता में भी गुणात्मक वृद्धि होगी फलतः समाज बहुआयामी दृष्टिकोण से प्रभावित होगा।

महात्मा गाँधीजी के कथनानुसार ‘‘जब एक महिला शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है’’। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की महिलाओं के लिए उपलब्ध आरक्षण का प्रावधान अभी संक्रमणकाल में है , जिसके दूरगामी प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है।

निष्कर्षः-

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि विभिन्न सरकारी प्रयासों जिनमें सकारात्मक भेदभाव ;(आरक्षण) व्यवस्था की प्रमुख भूमिका है। इसके उचित क्रियांवयन , परिपक्व सामाजिक सोच एवं गुणात्मक शिक्षा द्वारा महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने तथा सामाजिक गतिशीलता प्रदान करने में आसानी होगी। महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था का सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगा है। इससे महिलाएँ घर के भीतर एवं बाहर अपने जीवन को नियमित एवं नियंत्रित करने के अधिकार का उचित प्रयोग कर सकेंगी।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः-

1. वर्णवाल महेष कुमार ‘‘जनसंख्या एवं जनांकिकी , अध्याय 4: बिहार एक समग्र अध्ययन ,प्रथम संस्करण , COSMOS पब्लिकेशन , TM No-011 81589, पृष्ठ संख्या 152, 156, 158
2. Information about Reservation retrieved from https:// www.google.com/amp/s/m.ja....
3. भारत की जनगणना 2011 विकिपीडियाhttps://hi.m.wikipedia.org/wiki/%Eo%
4. Females in public sector, retrieved from https://stateofindia.cmie.com
5. बिहार में महिला विधायकhttps://ww.goolgle.com/prabhasakshi.com
6. बिहार में बालिका शिक्षा ( 1947 से 2006 तक) एक अध्ययन मो 0 ईरशाद खाँ पटना विश्वविद्यालय लाइब्रेरी
7. बिहार की जनसंख्याkulhaiya.com/ bihar-ki-jansankhya
8. दूबे मुक्ता ‘‘महिला आरक्षण , चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ’’ क्लासिकल पब्लिषिंग कम्पनी, 15BN 978-81-7054-638-2
9. महिलाओं के लिए आरक्षण,https: // www dristiias.com
10. डा0 धुसिया, सुधी (2017), ’भारतीय समाज में महिलाएँ’ ISBN-81-237-5694-1
11. योजना मासिक पत्रिका , ’महिला सशक्तिकरण’ , अक्टूबर, 2018, 2018, ISSN- 0971 - 8397